बियाडा की ज़मीन 80 फीसदी तक सस्ती

चर्चा में क्यों?

19 जुलाई, 2022 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण (बियाडा) की ज़मीन की लीज़ राशि पर 20 से 80 फीसदी तक छूट देने का फैसला लिया गया। इससे बिहार में औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलेगा और निवेश बढ़ेगा।

प्रमुख बिंदु

- बिहार कैबिनेट विभाग के अपर मुख्य सचिव एस. सिद्धार्थ ने बैठक के बाद कहा कि बियाडा उद्यमियों को उद्योग लगाने के लिये ज़मीन 90 साल तक लीज़ पर देता है। अभी ज़मीन का रेट एमवीआर के आधार पर है।
- अब राज्य सरकार बिहार के 54 औद्योगिक क्षेत्रों में ज़मीन की लीज़ पर 20 से 80 फीसदी तक की छूट देगी। सरकार के इस कदम से उद्यमियों को उद्योग लगाने के लिये सस्ती दर पर ज़मीन मिल सकेगी। इससे राज्य में औद्योगीकरण को बढ़ावा मिलेगा और निवेश आने से आर्थिक विकास होगा।
- वर्तमान में राज्य में बियाडा के 74 औद्योगिक क्षेत्र कार्यरत् हैं। बंद पड़ी चीनी मिलों की 2900 एकड़ ज़मीन औद्योगिक क्षेत्र के रूप में विकसित करने के लिये बियाडा को ट्रांसफर की गई है।
- जानकारी के अनुसार, जिन ज़िलों में बियाडा की ज़मीन के एमवीआर पर 80 फीसदी छूट दी गई है, उनमें गोपालगंज का हथुआ फेज़ एक और दो, सिवान का न्यू सिवान फेज़ एक और दो, औरंगाबाद, रोहतास का बिक्रमगंज क्षेत्र, बक्सर का डुमरांव, गया ज़िले का गुरारू, मुंगेर ज़िले का जमालपुर और मुंगेर क्षेत्र, पश्चिम चंपारण का रामनगर, मधुबनी का झंझारपुर, मधेपुरा का उदाकिशुनगंज और मुरलीगंज, सहरसा ज़िले का सहरसा क्षेत्र और नालंदा ज़िले का बिहारशरीफ क्षेत्र शामिल हैं।
- इसी प्रकार जिन ज़िलों में बियाडा की ज़मीन के एमवीआर में 60 फीसदी तक छूट दी गई है, उनमें पश्चिम चंपारण का बेतिया, रोहतास का डेहरी, भोजपुर का बिहिया, जहानाबाद, बिहटा, सिवान, मधुबनी ज़िले का सकरी, सीतामढ़ी, दरभंगा का धरमपुर, कटिहार और किशनगंज का खगरा क्षेत्र शामिल हैं।
- इसके अलावा भागलपुर का बरारी, पूर्णिया का बनमनखी, पूर्णिया सिटी, दरभंगा का दोनार और बेला, पूर्वी चंपारण का रक्सौल, वैशाली का हाज़ीपुर, बारूण व औरंगाबाद, बक्सर और लखीसराय में 40 फीसदी तक छूट मिलेगी।
- पूर्णिया का मरंगा, अररिया का फारबिसगंज, मधुबनी का लौहट फेज़ एक, दो और तीन, पूर्वी चंपारण का सुगौली, मुज़फ्फरपुर और कोररा, वैशाली का गोरौल फेज एक और दो, हाजीपुर, पटना ज़िले का फतुहा, पाटलिपुत्र, बक्सर का नवानगर, नवादा का वारसलीगंज, मुंगेर ज़िले का सीताकुंड और खगड़िया ज़िले के खगड़िया औद्योगिक केंद्र की ज़मीन पर 20 फीसदी छूट मिलेगी।

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/bihar-industrial-area-development-authority